# मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

**भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल, 2004**

क्र.888–म.प्र. वि.नि.आ.–2004 – मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (वर्ष 2001 का क्रमांक 4) की धारा 55 (2) (एफ) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 62 (2) तथा धारा 181 (2) (जेड ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004 बनाता है। आयोग विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 (जेड ई, जेड जी) के साथ पठित धारा 62 (2) तथा 64 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2004 अलग से बनायगा।

## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004

1. **शीर्षक तथा विनियम का प्रारंभ** –

1.1 इन विनियमों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन प्रबोधन) (मॉनीटरिंग आफ परफारमेंस आफ लाईसेंसीज एण्ड जनरेटिंग कम्पनीज) विनियम, 2004 कहा जाएगा ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे तथा इनका अधिकार क्षेत्र समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारकों के क्षेत्र में रहेगा ।

2. **परिभाषाएं** –

2.1 जब तक कि संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (वर्ष 2001 का क्रमांक 4), विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 में परिभाषित है ।

3. **आयोग में सूचना/जानकारियाँ की प्रस्तुति :–**

3.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, इसकी उत्तराधिकारी इकाइयां एवं अन्य विद्युत उपक्रमों के द्वारा आयोग में सूचना/जानकारियां संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

3.2 विभिन्न सूचनाएं तथा जानकारियों को प्रस्तुत करने की नियत अवधि प्रत्येक प्रारूप में उल्लिखित है । इन विनियमों के पालन उद्देश्य हेतु तिमाही (Quarter) का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

1. तिमाही (Quarter ) 1 – अप्रैल से जून
2. तिमाही (Quarter ) 2 – जुलाई से सितम्बर
3. तिमाही (Quarter ) 3 – अक्टूबर से दिसम्बर
4. तिमाही (Quarter ) 4 – जनवरी से मार्च

3.3 सूचना/जानकारी के प्रत्येक मासिक, तिमाही, छिमाही तथा वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि की अवधि समाप्त होने के पैंतालीस (45) दिन के बाद होगी ।

3.4 आयोग को सूचना/जानकारी तथा आवश्यक स्पष्टीकरण यदि कोई है तो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के लिये अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी दल की स्थापना करना होगी तथा इस कार्यकारी दल का विवरण आयोग को उपलब्ध कराना होगा ।

3.5 आयोग समय–समय पर प्रारूपों की विषय वस्तु को आशोधित कर सकता है अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिये नये प्रारूप योजित कर सकता है ।

3.6 पेपर प्रति (Hard Copies) के अतिरिक्त सूचनाएं/जानकारियां आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रानिक फार्म में काम्पेक्ट डिस्क अथवा ई–मेल के द्वारा अर्थात् साफ्ट कॉपी में भी अवश्यमेव आयोग में प्रस्तुत की जाना हैं ।

3.7 सूचना/जानकारियों को बार–बार विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अधिनियम के उपयुक्त प्रावधान के अनुसार दंड एवं शास्ति लगाई जा सकती है ।

4. **सूचना/जानकारी का उपयोग :–**

4.1 आयोग को मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, इसकी उत्तराधिकारी इकाइयां तथा विद्युत उपक्रमों के द्वारा प्रस्तुत सूचना/जानकारी का ऐसा उपयोग करने, जिसमें सूचनाओं/जानकारियों को प्रकाशित एवं/ अथवा आयोग की या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी सम्मिलित है, का अधिकार होगा ।

5. **व्यावृत्ति** (Savings)

5.1 इन विनियमों की कोई भी बात, ऐसे आदेश पारित करने हेतु जो न्याय के उद्देश्यों हेतु आवश्यक हो या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आयोग की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

5.2 इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किन्तु विनियमों के प्रावधानों से भिन्न प्रक्रिया,, को अंगीकार करने से नहीं रोकेगी, यदि आयोग की दृष्टि में किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और ऐसे विषय या विषयों के वर्ग से व्यवहार करने हेतु कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए आवश्यक या समीचीन समझा जाता है ।

5.3 इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के अधीन ऐसे किसी विषय पर विचार करने से या किसी शक्ति का प्रयोग करने से अभिव्यक्त करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो और आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कृत्यों को इस रीति से व्यावहारिक कर सकेगा, जो उचित समझें ।